

Miscellaneous Case No – 06/2018

Dist. - Gaya

=====
Mining Officer, Gaya

Vs.

Navyuga Engineering Company Ltd.
=====

आदेश

27.03.2018

C.W.J.C. No.-3587/2018 मे० वेस्टलिक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.03.18 को पारित आदेश द्वारा यह व्याख्या की गयी है कि खान आयुक्त द्वारा मूल प्राधिकार के किसी आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है। यह वाद स्वतः पुनरीक्षण के प्राधिकार को मूल प्राधिकार की तरह उपयोग करते हुए आरम्भ किया गया है, जबकि बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 में खान आयुक्त को खनन पट्टा निलंबित अथवा समाप्त करने का मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस वाद में अबतक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अतः संदर्भित न्यायादेश एवं प्रावधान के आलोक में इस वाद को समाप्त करते हुए, मामले को गुण-दोष पर विचार कर उचित निर्णय लेने का निदेश समाहर्ता, गया को दिया जाता है। समाहर्ता, गया संबंधित बन्दोबस्तधारी को सुनकर 30 दिनों के अन्दर उचित निर्णय लेंगे।

ह०/—

(अतुल प्रसाद)

खान आयुक्त

बिहार, पटना

ज्ञापांक:—.....1620...../एम० पटना, दिनांक28-3-18.....

प्रतिलिपि:—समाहर्ता, गया/सहायक निदेशक, गया/मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, सहायक महाप्रबंधक, सी०एच० सूर्य नारायण राजू, पिता—सी०एच० रामा राजू, प्लॉट नं०-171, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना-800013/आई०टी० मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।